न्यायालय,समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी,खगड़िया।

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक–ता0..से...

जिला–खगड़िया..............................,सा0..,सन्.......................

केस का प्रकारः–बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में। वाद संख्या–21/2018 राज्य बनाम थाना खगड़िया कांड संख्याः–48/2017

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
27.09.2018	बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 30(ए) के तहत थाना खगड़िया में दर्ज कांड संख्याः–48/2017 दिनांक 28.01.2017 में जप्त विदेशी शराब के विनष्टीकरण हेतु पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 4523/हि0शा0, दिनांक 25.09.2018 द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ संलग्न थानाध्यक्ष, खगड़िया का प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि 750 एम0एल0 का 14 (चौदह) बोतल, 375 एम0एल0 का 22 (बाईस) बोतल तथा 180 एम0एल0 का 40 (चालीस) फ्रुटीनुमा बोतल विदेशी शराब में से 750 एम0एल0 का 01 बोतल, 375 एम0एल0 का 02 (दो) बोतल तथा 180 एम0एल0 का 04 (चार) फ्रुटीनुमा बोतल विदेशी शराब माननीय न्यायालय के निदेशानुसार उत्पाद रसायन परीक्षक, बिहार, पटना को भेजा गया है तथा शेष 750 एम0एल0 का 13 बोतल, 375 एम0एल0 का 20 (बीस) बोतल तथा 180 एम0एल0 का 36 (छत्तीस) फुटीनुमा विदेशी शराब कुल–23.73 लीटर विदेशी शराब थाना खगड़िया के मालखाना में सुरक्षार्थ रखा गया है। पुलिस पदाधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि थाने में रखी गई शराब का दुरूपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसे लंबे समय तक जमा रखना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुपयुक्त है। अतएव प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा–57 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए थाना, खगड़िया के मालखाना में रखी गई कुलः–23.73 लीटर विदेशी शराब विनष्ट करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया अपने देख–रेख में निर्धारित प्रक्रियों का पालन करते हुए थाना, खगड़िया में दर्ज कांड संख्याः–48/2017 कांडों के आधार पर जप्त की गई कुल–23.73 लीटर विदेशी शराब को विनष्ट करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित करेंगे। इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, खगड़िया उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय। लेखापित एवं संशोधित। समाहर्त्ता, खगड़िया। समाहर्त्ता, खगड़िया।	

क्रम स0 और तारीख 1.	02.	गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 03.
	डी0बी0 नं0 ...575.... / विधि, दिनांक 27-9-18 प्रतिलिपिः–पुलिस अधीक्षक, खगड़िया / थानाध्यक्ष, खगड़िया / उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपिः–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय। 27/9 प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, खगड़िया। 27.9.18	